प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 597/2004

याचिकाकर्ता - चंडिकेश्वर सिंह

बनाम

उत्तरवादीगण - छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश हेतु दिनांक 25.06.2007 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 597/2004

याचिकाकर्ता - चंडिकेश्वर सिंह, पिता राम नारायण सिंह, आयु लगभग 31 वर्ष, सचिव, ग्राम पंचायत ओबरी, तहसील पाल, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़।

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।

2. ग्राम पंचायत ओबरी, तहसील पाल, जिला सरगुजा (छ.ग.), द्वारा सरपंच, पता—ग्राम/डाकघर ओबरी, तहसील पाल, जिला सरगुजा (छ.ग.)।

3. कलेक्टर, सरगुजा (छ.ग.)।

4. शोभनाथ गुप्ता, उप सरपंच, ग्राम पंचायत ओबरी, ग्राम/डाकघर ओबरी, तहसील पाल, जिला सरगुजा (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

.....

श्री ए. के. प्रसाद, अधिवक्ता — याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री यशवंत सिंह ठाकुर, शासकीय अधिवक्ता — उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 3 की ओर से।

उत्तरवादी क्रमांक 2 एवं 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

.....

आदेश

(दिनांक 25 जून, 2007 को पारित)

(1) *वर्तमान याचिका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा पारित दिनांक 30.01.2004 के आदेश (अनुलग्नक पी./12) को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत ओबरी, तहसील पाल, जिला सरगुजा के पंचायत कर्मी के पद से इस आधार पर सेवा समाप्त कर दिया गया कि उसने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनियमितताएँ की हैं।*

(2) निर्विवाद तथ्य संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ता को दिनांक 06.12.1997 के आदेश (अनुलग्नक पी./1) द्वारा पंचायत कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात, उसे उक्त ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव घोषित किया गया।

(3) दिनांक 16.12.2003 का आदेश (अनुलग्नक पी./3) सरपंच द्वारा याचिकाकर्ता को जारी किया गया, जिसमें उसे फरवरी, 2000 से नवंबर, 2003 की अवधि से संबंधित ग्राम पंचायत के कुछ अभिलेख एवं पंजी दिनांक 17.12.2003 को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा कोई त्रुटि या कर्तव्य में चूक पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध पंचायत कर्मी के पद से हटाने हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) उक्त आदेश दिनांक 16.12.2003 के पालन में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 17.12.2003 को सभी अभिलेख सरपंच के समक्ष प्रस्तुत किए तथा उसकी रसीद (अनुलग्नक पी./4) प्राप्त की। याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उत्तरवादी क्रमांक 4 श्री शोभनाथ गुप्ता, उप-सरपंच ने दिनांक 20.12.2003 का एक पत्र (अनुलग्नक पी./5) लिखकर याचिकाकर्ता से 2,00,000/- रूपये की मांग की तथा भुगतान न करने की स्थिति में सचिव पद से हटाने की धमकी दी। यह भी कहा गया कि उक्त पत्र लिखे जाने से पूर्व ग्राम पंचायत ओबरी को विभिन्न कार्यों के लिए लगभग 15,00,000/- रूपये की राशि प्राप्त हुई थी।

(5) उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा दिनांक 20.12.2003 को दिए गए उक्त धमकीभरे पत्र के पश्चात, याचिकाकर्ता ने उसी दिन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बलरामपुर के समक्ष शिकायत (अनुलग्नक पी./6) प्रस्तुत की। साथ ही, दिनांक 26.12.2003 को उसने पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज को भी एक शिकायत (अनुलग्नक पी./7) प्रेषित की।

6) *तत्पश्चात, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता ने दिनांक 22.01.2004 को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, रामानुजगंज के न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 294, 506 भाग-II एवं 383 के अंतर्गत एक परिवाद प्रस्तुत किया (अनुलग्नक पी./8)। यह भी कहा गया कि संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त प्रकरण में संज्ञान लिया गया तथा उसे जांच एवं प्रतिवेदन हेतु पुलिस को प्रेषित किया गया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 21.01.2004 को उक्त घटना के संबंध में कलेक्टर को भी एक शिकायत (अनुलग्नक पी./9) प्रस्तुत की।*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) कलेक्टर, सरगुजा ने दिनांक 12.01.2004 के आदेश (अनुलग्नक पी./10) द्वारा जिला सरगुजा में गठित समस्त ग्राम सभाओं की बैठक दिनांक 23.01.2004 को आयोजित करने का निर्देश दिया। तदनुसार, ग्राम पंचायत ओबरी के अंतर्गत आने वाली सात ग्राम सभाओं की बैठक आयोजित की गई और उसके पश्चात दिनांक 30.01.2004 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

(8) आक्षेपित आदेश दिनांक 30.01.2004 (अनुलग्नक पी./12) में उल्लेख है कि पंचायत की बैठकों दिनांक 18.01.2004 एवं 30.01.2004 में, विभिन्न ग्राम सभा बैठकों में दिनांक 23.01.2004, 24.01.2004 एवं 25.01.2004 को पारित प्रस्तावों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि याचिकाकर्ता ने पंचायत कर्मी के रूप में कार्य करते हुए अनियमितताएँ की हैं, अतः उसे पद से हटाया जाए। उक्त ग्राम सभा प्रस्तावों के अनुपालन में, याचिकाकर्ता की पंचायत कर्मी के रूप में सेवाएँ दिनांक 30.01.2004 से समाप्त कर दी गईं।

(9) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि नियम, 1999 के नियम 7 में पंचायत के सदस्य की सेवा समाप्ति से पूर्व अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान है। वर्तमान प्रकरण में उक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, न ही कोई निश्चित आरोप निर्धारित किए गए और न ही याचिकाकर्ता को सेवा समाप्ति से पूर्व अभियोग पत्र प्रदान किया गया तथा कोई विधिवत जांच भी नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी सेवा समाप्त कर दी गई।

(10) *विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह प्रस्तुत किया कि यद्यपि नियुक्ति अस्थायी आधार पर थी, तथापि सेवा समाप्ति का आदेश इस आरोप के आधार पर पारित किया गया कि याचिकाकर्ता ने पंचायत कर्मी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनियमितताएँ की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह आदेश कलंकयुक्त है तथा सेवा से हटाया जाना एक प्रमुख दंड के अंतर्गत आता है, जिसे छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 (संक्षेप में 'नियम, 1999') के नियम 7 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित नहीं किया जा सकता था।*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) अनेक नोटिसों की तामिली के बावजूद, उत्तरवादी क्रमांक 2 ग्राम पंचायत ओबरी तथा उत्तरवादी क्रमांक 4 शोभनाथ गुप्ता, उप-सरपंच, ग्राम पंचायत ओबरी ने कार्यवाही में उपस्थित होना उचित नहीं समझा।

(12) उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यशवंत सिंह ठाकुर ने स्पष्ट रूप से तर्क प्रस्तुत किया कि अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि नियम, 1999 के नियम 7 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता की नियुक्ति दिनांक 06.12.1997 को हुई थी और विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, मात्र ग्राम सभाओं के प्रस्तावों के आधार पर दिनांक 30.01.2004 को उसे सेवा से हटा दिया गया, जो विधि की दृष्टि में संधारणीय नहीं है।

(13) यह निर्विवाद है कि ग्राम पंचायत ने आक्षेपित सेवा समाप्ति आदेश पारित करने से पूर्व नियम, 1999 के नियम 7 के प्रावधानों का पालन नहीं किया। इस न्यायालय ने

धलूराम कोसरिया बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य[1], ***बीगन राम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य***[2] तथा ***प्रकाश चंद सोनी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य***[3] में यह प्रतिपादित किया है कि वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न करना तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करना, न केवल नियम 7, नियम, 1999 का उल्लंघन है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) का भी अतिक्रमण है। सेवा से हटाने का आदेश दंडात्मक प्रकृति का होता है, जिससे नागरिक परिणाम उत्पन्न होते हैं, अतः इसे नियम 7 में निर्धारित विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार जांच किए बिना पारित नहीं किया जा सकता।

(14) अतः यह स्पष्ट है कि उत्तरवादियों ने आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व विधि के वैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया।

(15) उपर्युक्त कारणों के आधार पर, यह याचिका स्वीकार की जाती है। दिनांक 30.01.2004 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी./12) अभिखण्डित किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) बकाया वेतन के संबंध में, ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्थापित हो सके कि उक्त अवधि में याचिकाकर्ता कहीं अन्यत्र लाभकारी रूप से नियोजित था या नहीं। तथापि, यह ध्यान में रखते हुए कि सेवा समाप्ति का आदेश गुण-दोष के आधार पर नहीं, बल्कि वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन न होने के कारण निरस्त किया जा रहा है, न्यायहित में 30% बकाया वेतन प्रदान किया जाना पर्याप्त होगा। तथापि, यह आदेश सक्षम प्राधिकारियों को विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने से प्रतिबंधित नहीं करेगा, यदि वे ऐसा करना उचित समझें।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

---

1 2006 (2) C.G..L.J. 186
2 2006 L.T. (C.G.) 41
3 2005 L.J. (C.G.) 151

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur